अनुदान संख्या 87 - ग्रामीण विकास विभाग
GRANT No. 87 - DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	247944,29,00	337943,79,00	331820,80,00	-6122,99,00
पूरक	Supplementary	89999,50,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				4020,26,17

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :–

Notes and comments

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	5790.00	8564.19	8560.15	-4.04
पु.	R.	2774.19			
मुख्य शीर्ष "2216"	Major Head "2216"				
आवास	Housing				
मू.	O.	816488.00	791739.30	766988.01	-24751.29
पु.	R.	-24748.70			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"				
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare				
मू.	O.	2256.00	368.48	295.67	-72.81
पु.	R.	-1887.52			
मुख्य शीर्ष "2501"	Major Head "2501"				
विशेष ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Special Programmes for Rural Development				
मू.	O.	308942.00			
पू.	S.	1.00	294546.62	294396.56	-150.06
पु.	R.	-14396.38			
मुख्य शीर्ष "2505"	Major Head "2505"				
ग्रामीण रोजगार	Rural Employment				
मू.	O.	12564541.00			
पू.	S.	2788000.00	15298879.25	15439472.83	+140593.58
पु.	R.	-53661.75			
मुख्य शीर्ष "2515"	Major Head "2515"				
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Other Rural Development Programmes				
मू.	O.	40413.00	25596.70	21736.96	-3859.74
पु.	R.	-14816.30			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	823248.00			
पू.	S.	243.00	49.30	..	-49.30
पु.	R.	-823441.70			
मुख्य शीर्ष "3054"	Major Head "3054"				
सड़कें और सेतु	Roads and Bridges				
मू.	O.	50160.00			
			41688.55	33217.09	-8471.46
पु.	R.	-8471.45			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	9797352.00			
पू.	S.	6211647.00	16536653.12	16209716.13	-326936.99
पु.	R.	527654.12			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	385239.00			
पू.	S.	59.00	394267.32	407696.60	+13429.28
पु.	R.	8969.32			

(I) पच्चीस शीर्षों के अंतर्गत ₹826725.13 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹243.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, जिसमें से ₹826502.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध थेः–

(I) Provision of ₹826725.13 lakhs (including supplementary grant of ₹243.00 lakhs obtained in December, 2022) remained wholly unutilized under twenty five heads; of these ₹826502.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2216" – "ग्रामीण आवासन" –

(A) Major Head "2216" - "Rural Housing" -

(क) "इंदिरा आवास योजना – ब्याज राजसहायता" – ₹2500.00 लाख – ग्रामीण आवासन ब्याज राजसहायता (आरएचआईएसएस) को चरणबद्ध तरीके से हटाने के कारण प्रस्तावित कार्यकलाप शुरू नहीं होने के कारण।

(a) "Indira AwaasYojana - Interest Subsidy" - ₹2500.00 lakhs - due to non-initiation of proposed activities owing to phasing out of Rural Housing Interest Subsidy Scheme (RHISS).

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – इंदिरा आवास योजना" – ₹511.00 लाख – इस श्रेणी के अंतर्गत लाभार्थी नहीं मिलने के कारण।

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Indira AwaasYojana" - ₹511.00 lakhs - due to non-availability of beneficiaries under the category.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(B) Major Head "2552" -

(क) "अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम – प्रशिक्षण – राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान" – ₹1354.60 लाख; और

(a) "Other Rural Development Programmes - Training - Grants to National Institute of Rural Development" - ₹1354.60 lakhs; and

(ख) "अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम – अन्य व्यय" –

(b) "Other Rural Development Programmes - Other Expenditure"" -

(i) "ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधकीय सहायता और जिला आयोजना प्रक्रियाओं का सुदृढ़ीकरण" – ₹950.00 लाख।

(i) "Management Support to Rural Development Programmes and Strengthening District Planning Process" - ₹950.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण पूरी तरह से अप्रयुक्त रहे।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ii) "आरयूआरबीएएन मिशन" – ₹6292.30 लाख (₹24300 लाख के पूरक अनुदानों सहित);

(ii) "RURBAN Mission" - ₹6292.30 lakhs (including supplementary grant of ₹24300 lakhs);

(ग) "स्वरोजगार कार्यक्रम – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन – आजीविका – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹45041.02 लाख;

(घ) "जिला और अन्य सड़कें – प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना – कार्यक्रम घटक" – ₹190000.00 लाख;

(ङ) "विशेष कल्याण – वृद्ध, असहाय और निःसहाय व्यक्तियों का कल्याण – राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" – ₹70671.62 लाख;

(च) "ग्राम आवासन – इंदिरा आवास योजना – इंदिरा आवास योजना" – ₹129001.00 लाख;

(छ) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" –

(i) "इंदिरा आवास योजना" – ₹31001.00 लाख;

(ii) "राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" – ₹4673.48 लाख;

(iii) "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹5623.47 लाख;

(ज) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" –

(i) "इंदिरा आवास योजना" – ₹40001.00 लाख;

(ii) "राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" – ₹21178.00 लाख;

(iii) "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹77700.51 लाख; और

(झ) "आरक्षित निधियों को अंतरण केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण" – ₹200003.00 लाख।

(c) "Self Employment Programme - National Rural Livelihood Mission - Aajeevika - National Rural Livelihood Mission" - ₹45041.02 lakhs;

(d) "District and Other Roads - Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana - Programme Component" - ₹190000.00 lakhs;

(e) "Social Welfare - Welfare of aged, infirm and destitute - National Social Assistance Programme" - ₹70671.62 lakhs;

(f) "Rural Housing - Indira Awaas Yojna - Indira Awaas Yojana" - ₹129001.00 lakhs;

(g) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "Indira Awaas Yojana" - ₹31001.00 lakhs;

(ii) "National Social Assistance Programme" - ₹4673.48 lakhs;

(iii) "National Rural Livelihood Mission" - ₹5623.47 lakhs;

(h) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "Indira Awaas Yojana" - ₹40001.00 lakhs;

(ii) "National Social Assistance Programme" - ₹21178.00 lakhs;

(iii) "National Rural Livelihood Mission" - ₹77700.51 lakhs; and

(i) "Transfer to Reserve Funds - Transfer to Central Road and Infrastructure Fund" - ₹200003.00 lakhs.

उपर्युक्त बारह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोजन के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above twelve heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2505" – "ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान नीचे प्रत्येक के समक्ष दर्शाये अनुसार पूर्णतः अप्रयुक्त रहाः–

(II) Supplementary grant obtained under major head "2505" - "Rural Employment Guarantee Scheme" - remained wholly unutilized as shown against each:-

(का) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला कार्यक्रम समन्वयकों और अन्यों को सहायता" – ₹1538088.00 लाख का मूल प्रावधान दिसंबर, 2022 में ₹148053.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹1686141.00 लाख तक बढ़ाया गया। तथापि, ₹461083.04 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई; और

(A) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Assistance to District Rural Development Agencies/District Programme Coordinators and Others" - the original provision of ₹1538088.00 lakhs was augmented to ₹1686141.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹148053.00 lakhs in December, 2022. However, there was a saving of ₹461083.04 lakhs (including supplementary grant); and

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला कार्यक्रम समन्वयकों और अन्यों को सहायता" – ₹1142767.00 लाख का मूल प्रावधान दिसंबर, 2022 में ₹137092.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹1279859.00 लाख तक बढ़ाया गया। तथापि, ₹150659.79 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

(B) "Tribal Area Sub-Plan - Assistance to District Rural Development Agencies/District Programme Coordinators and Others" - the original provision of ₹1142767.00 lakhs was augmented to ₹1279859.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹137092.00 lakhs in December, 2022. However, there was a saving of ₹150659.79 lakhs (including supplementary grant).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों से कम संख्या में निधि अंतरण आदेश प्राप्त होने और कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं क्योंकि स्कीम मांग आधारित थी।

Savings under the above two heads were due to receipt of less Fund Transfer Orders from State Governments and receipt of less proposals scheme being demand driven.

(III) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनायें" के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान नीचे प्रत्येक के समक्ष दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहाः–

(III) Supplementary grant obtained under the major head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - remained unutilized to the extent as shown against each:-

(का) "केंद्रीय सहायता/हिस्सा – प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण" – ₹606351.00 लाख का मूल प्रावधान

(A) "Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Awaas Yojana - Rural" - the original provision of

दिसंबर, 2022 में ₹2842200.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹3448551.00 लाख तक बढ़ाया गया, जो, तथापि, धीमी प्रगति के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और अनियमितता की शिकायतों के चलते पश्चिमी बंगाल राज्य को निधियों का केंद्रीय हिस्सा जारी नहीं किए जाने के कारण ₹245551.43 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) "आरक्षित निधियों को अंतरण – केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (पीएमएवाई – जी) को अंतरण" – ₹1377853.00 लाख का मूल प्रावधान दिसंबर, 2022 में ₹2842200.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹4220053.00 लाख तक बढ़ाया गया, जो, तथापि, कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण कम निधियों की आवश्यकता के चलते ₹210483.39 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष "2216" – "ग्रामीण आवासन – इंदिरा आवास योजना" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "इंदिरा आवास योजना – कार्यक्रम घटक" – ₹21526.29 लाख की बचत (₹404724.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नाबार्ड को ब्याज के तौर पर कम निधियों की आवश्यकता और कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) "आरक्षित निधियों को अंतरण – केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (पीएमएवाई) को अंतरण" – ₹24748.70 लाख की बचत (₹408244.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों/राज्यों से कम मांग प्राप्त होने के चलते कम निधियां अंतरित किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "2235" – "सामाजिक कल्याण – वृद्ध, कमजोर और निराश्रित व्यक्तियों का कल्याण – राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" के अंतर्गत – ₹1877.62 लाख की बचत (₹2000.79 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किए जाने के चलते

₹606351.00 lakhs was augmented to ₹3448551.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2842200.00 lakhs in December, 2022, which, however, remained unutilized to the extent of ₹245551.43 lakhs - due to receipt of less proposals from States/Union Territories owing to slow progress and non-release of central share of funds for State of West Bengal owing to complaints of irregularities.

(B) "Transfer to Reserve Fund - Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (PMAY-G)" - the original provision of ₹1377853.00 lakhs was augmented to ₹4220053.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2842200.00 lakhs in December, 2022 which, however, remained unutilized to the extent of ₹210483.39 lakhs - due to less transfer of funds owing to receipt of less proposals from implementing agencies.

(IV) Under Major Head "2216" - "Rural Housing-Indira Awaas Yojna" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Indira Awaas Yojana - Programme Component" - saving of ₹21526.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹404724.00lakhs) was due to requirement of less funds towards Interest to NABARD and receipt of less proposals from implementing agencies;

(B) "Transfer to Reserve Fund - Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (PMAY)" - saving of ₹24748.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹408244.00 lakhs) was due to less transfer of funds owing to receipt of less demand from Union Territories/States.

(V) Under Major Head "2235" - "Social Welfare - Welfare of aged, infirm and destitute - National Social Assistance Programme" - saving of ₹1877.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.79 lakhs) was due to receipt of less proposals from

अन्नपूर्णा योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "2501" – "स्वरोजगार कार्यक्रम – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "आजीविका – कार्यक्रम घटक" – ₹8569.28 लाख की बचत (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹298365.39 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और स्टार्ट अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम के तहत नए राष्ट्रीय संसाधन संगठनों को शुरू करने में देरी के कारण हुई।

(खा) "आजीविका – ईएपी घटक" – ₹3956.23 लाख की बचत (₹5700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावित अध्ययनों के तहत प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(गा) "प्रबंधन सहायता" – ₹1650.84 लाख की बचत (₹3941.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और कम संख्या में प्रशिक्षण/सम्मेलनों/कार्यशालाओं के आयोजन के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष "2505" – "ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "प्रबंधन प्रकोष्ठ" – ₹697.23 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थापना संबंधी व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता और कम संख्या में दौरे करने के कारण हुई।

(खा) "सूचना, शिक्षा और संचार" – ₹4994.80 लाख की बचत (₹5001.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); राज्य सरकारों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और मीडिया

States/Union Territories under Annapurna Scheme owing to introduction of National Food Security Act.

(VI) Under Major Head "2501" - "Self Employment Programme - National Rural Livelihood Mission" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Aajeevika - Programme Component" - saving of ₹8569.28 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹298365.39 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2022) was due to receipt of less proposals and delay in grounding of New National Resources Organizations under Startup Village Entrepreneurship Programme.

(B) "Aajeevika - EAP Component" - saving of ₹3956.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5700.00 lakhs) was due to non- receipt of proposals towards proposed studies.

(C) "Management Support" - saving of ₹1650.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3941.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and conduction of less trainings/conferences/workshops.

(VII) Under Major Head "2505" - "Rural Employment Guarantee Scheme - National Rural Employment Guarantee Scheme" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Management Cell" - saving of ₹697.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards establishment related expenses and less conduction of tours.

(B) "Information, Education and Communication" - saving of ₹4994.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5001.00 lakhs) was due

कैंपेन फाइनल न होने के कारण हुई।

(गा) "क्षमता निर्माण और तकनीकी सहयोग" – ₹38729.40 लाख की बचत (₹40000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान के तुलना में); मोबाइल मॉनीटरिंग के लिए राज्य सरकारों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(घा) "विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय" – ₹4213.78 लाख की बचत (₹8006.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(VIII) मुख्य शीर्ष "2515" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "प्रशिक्षण – राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान" – ₹4611.43 लाख की बचत (₹12191.40 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) "अन्य व्यय" –

(क) "ग्रामीण विकास कार्यक्रम को प्रबंधकीय सहायता और जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण" – ₹7889.86 लाख की बचत (₹20056.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने, वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने, माइक्रोसाफ़्ट लाइसेंस के लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं होने और सहायताकर्ता अभिकरणों से बिल प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(ख) "आरयूआरबीएएन मिशन" – ₹6350.38 लाख की बचत (₹7951.60 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और क्षमता निर्माण गतिविधियों के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण विकास

to receipt of less proposals from State Governments and non-finalization of media campaign.

(C) "Capacity Building and Technical Support" - saving of ₹38729.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from State Governments towards mobile monitoring.

(D) "Expenditure in Union Territory without Legislature" - saving of ₹4213.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8006.00 lakhs); and

(VIII) Under Major Head "2515" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Training - Grants to National Institute of Rural Development" - saving of ₹4611.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12191.40 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals from State Governments.

(B) "Other Expenditure" -

(a) "Management Support to Rural Development Programmes and Strengthening District Planning Process" - saving of ₹7889.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20056.00 lakhs) was due to receipt of less proposals, reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance, non-receipt of approval for Microsoft Licenses and non - receipt of bills from supporting agencies.

(b) "RURBAN Mission" - saving of ₹6350.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7951.60 lakhs) was due to receipt of less proposals from Union Territories without legislature and requirement of less funds by

संस्थान द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(IX) मुख्य शीर्ष "3054" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "जिला और अन्य सड़कें – प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना" –

(क) "राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण को सहायता" – ₹665.90 लाख की बचत (₹5040.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विक्रेताओं/राष्ट्रीय गुणावत्ता निगरानी कर्ताओं से कम संख्या में दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) "बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय" – ₹7781.15 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) "सामान्य – आरक्षित निधियों को अंतरण – केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (पीएमजीएसवाई–जी) को अंतरण" – ₹8471.46 लाख की बचत (₹25080.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम मांग के चलते कम निधियों के अंतरण के कारण हुई।

(X) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनायें" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "केंद्रीय सहायता/अंश – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹24304.75 लाख की बचत (₹354462.66 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने, पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष राशि उपलब्ध होने और प्रस्तावित परियोजनायें अनुमोदित नहीं होने के कारण हुई।

National Institute of Rural Development under capacity building activities.

(IX) Under Major Head "3054" - savings occurred under the following heads:-

(A) "District and Other Roads - PradhanMantri Gram Sadak Yojana" -

(a) "Assistance to National Rural Roads Development Agency" - saving of ₹665.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5040.00 lakhs) was due to less receipt of claims from vendors/National Quality Moniters.

(b) "Expenditure in Union Territories without Legislature" - saving of ₹7781.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs) was due to less receipt of proposals from UT of Ladakh and Andaman and Nicobar.

(B) "General - Transfer to Reserve Fund - Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (PMGSY-G)" - saving of ₹8471.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25080.00 lakhs) was due to less transfer of funds owing to receipt of less demand.

(X) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Assistance/Share - National Rural Livelihood Mission" - saving of ₹24304.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹354462.66 lakhs) was due to receipt of less proposals from States, availability of unspent balances of previous year and non-approval of proposed projects.

(खा) "विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें – केंद्रीय प्रायोजित योजनायें – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹816.09 लाख की बचत (₹44300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार टुकड़ों में निधियां जारी करने और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना में राज्यों के खजाने से निधियां जारी करने में विलंब के कारण हुई।

(B) "Externally Aided Projects-Grants for Centrally Sponsored Schemes - National Rural Livelihood Mission" - saving of ₹816.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹44300.00 lakhs) was due to release of funds in tranches as per guidelines of Ministry of Finance and delay in release of funds from State treasury to State Rural Livelihood Mission Scheme.

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹38115.28 लाख की बचत (₹323087.75 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने, प्रस्तावित परियोजनाओं को अनुमोदन नहीं मिलने और पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष राशि उपलब्ध होने के कारण हुई।

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes - National Rural Livelihood Mission" - saving of ₹38115.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹323087.75 lakhs) was due to receipt of less proposals from State Governments, non-approval of proposed projects and availability of unspent balances of previous year.

(XI) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनायें" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(XI) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(का) "केंद्रीय सहायता/हिस्सा" –

(क) "राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" – ₹10047.47 लाख की बचत (₹11975.11 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹1025.12 लाख की बचत (₹11242.59 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एकल नोडीय अभिकरण दिशा निर्देश लागू करने में विलंब के कारण हुई।

(ग) "प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना" – ₹75828.00 लाख की बचत (₹150000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष निधियां उपलब्ध होने के कारण संघ राज्य क्षेत्रों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) "Central Assistance/Share" -

(a) "National Social Assistance Programme" - saving of ₹10047.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11975.11 lakhs) was due to receipt of less proposals from Union Territory Governments.

(b) "National Rural Livelihood Mission" - saving of ₹1025.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11242.59 lakhs) was due to receipt of less proposals and delay in implentation of Single Nodel Agency guidelines by Union Territories.

(c) "Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana" - saving of ₹75828.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹150000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Union Territories owing to availability of unspent balances of previous year.

(घ) "दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूजीकेवाई)" – ₹3596.48 लाख की बचत (₹3652.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्रों की कम संचालन क्षमता के कारण हुई।

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूजीकेवाई)" – ₹1169.36 लाख की बचत (₹1195.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावित परियोजना को अनुमोदित नहीं किए जाने के कारण हुई।

(गा) "आरिक्षित निधियों को अंतरण – केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण (पीएमजीएसवाई)" – ₹75828.00 लाख की बचत (₹150000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने के चलते कम निधियों का अंतरण होने के कारण हुई।

(XII) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹1746.35 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक किंतु ₹500.00 लाख से कम थीं और स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत से 98 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹309305.60 लाख) प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि मुख्य शीर्ष "2022" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनायें" के तहत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दिसंबर, 2022 में ₹6211890.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) "केंद्रीय सहायता / हिस्सा" –

(क) "राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" – ₹73908.14 लाख

(ख) "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" – ₹181995.39 लाख।

(d) "Deen Dayal Upadhaya Gramin Kaushalya Yojana (DDUGKY)" - saving of ₹3596.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3652.00 lakhs) was due to reduced operational capacity of training centers in State Governments.

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Deen Dayal Upadhaya Gramin Kaushalya Yojana (DDUGKY)" - saving of ₹1169.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1195.00 lakhs) was due to non-approval of the proposed project.

(C) "Transfer to Reserve Fund - Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (PMGSY)" - saving of ₹75828.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹150000.00 lakhs) was due to less transfer of funds owing to receipt of less proposals.

(XII) Under four heads savings of ₹1746.35 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 19 percent to 98 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹309305.60 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grant of ₹6211890.00 lakhs in December, 2022 under the Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - under the following heads:-

(A) "Central Assistance/Share" -

(a) "National Social Assistance Programme" - ₹73908.14 lakhs.

(b) "Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme" - ₹181995.39 lakhs.

(ग) "श्यामा प्रसाद मुखर्जी आरयूआरबीए ए एन मिशन" – ₹4560.78 लख । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹4560.02 लाख था।

(c) "Shyama Prasad Mukherjee RURBAN Mission" - ₹4560.78 lakhs. Actual excess, however, was ₹4560.02 lakhs.

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" –

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(क) "प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण" – ₹16551.77 लाख।

(a) "Pradhan Mantri Awaas Yojana - Rural" - ₹16551.77 lakhs.

(ख) "राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" – ₹13773.25 लाख।

(b) "National Social Assistance Programme" - ₹13773.25 lakhs.

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण" – ₹18516.27 लाख।

(C) "Tribal Area Sub - Plan - Pradhan Mantri Awaas Yojana - Rural" - ₹18516.27 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईः–

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – ग्रामीण विकास विभाग" – ₹2770.15 लाख का अधिक व्यय (₹5790.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आई टी अवसंरचना और श्रम शक्ति परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवायें आईएनसी (एनआईसीएसआई) के माध्यम से तैनात आउटसोर्स कर्मियों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(A) Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Rural Development" - excess of ₹2770.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5790.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards outsourced manpower deployed by NIC through National Informatics Centre Services Inc. (NICSI) under the IT infrastructure and manpower project.

(खा) मुख्य शीर्ष "2505" – "ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" – अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआः–

(B) Major Head "2505" - "Rural Employment Guarantee Scheme" - excess occurred under the following heads:-

(क) "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" –

(a) "National Rural Employment Guarantee Scheme" -

(i) "जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/जिला कार्यक्रम स्मन्वयकों और अन्यों को सहायता" – ₹597510.52 लाख का अधिक व्यय (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹862855.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹3342000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लंबित निधि अंतरण आदेशों को निपटाने

(i) "Assistance to District Rural Development Agencies/District Programme Coordinators and Others" - excess of ₹597510.52 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3342000.00 lakhs including supplementary grant of ₹862855.00

और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम कर्मियों को मजदूरी देने के कारण हुआ।

(ii) "मजदूरी संवितरण के लिए सेवा शुल्क" – ₹9387.07 लाख का अधिक व्यय (₹50000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सेवा शुल्क/बिलों को निपटाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ख) "आरक्षित निधियों/जमा लेखाओं को अंतरण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि" – ₹141098.63 लाख का अधिक व्यय (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹1640000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹8940000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मज़दूरी के वितरण के कारण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि को अंतरण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनायें" – अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ:–

(क) "केंद्रीय सहायाता/हिस्सा – प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना" – ₹273609.15 लाख का अधिक व्यय (₹1533920.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" –

(i) "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹31982.74 लाख का अधिक व्यय

lakhs obtained in December, 2022) was due to requirement of additional funds towards clearance of pending Fund Transfer Orders and wages to Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act workers.

(ii) "Service Charges for wage disbursement" - excess of ₹9387.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50000.00 lakhs) was due to requirement of additional fund towards clearance of service charges/bills.

(b) "Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Transfer to National Rural Employment Guarantee Fund" - excess of ₹141098.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8940000.00 lakhs including supplementary grant of ₹1640000.00 lakhs obtained in December, 2022) was due to requirement of additional funds towards transfer to National Rural Employment Guarantee Fund owing to disbursement of wages.

(C) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - excess occurred under the following heads:-

(a) "Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana" - excess of ₹273609.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1533920.00 lakhs);

(b) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "National Rural Livelihood Mission" - excess of ₹31982.74 lakhs (against

(₹154350.59 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ii) "राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" – ₹21600.15 लाख का अधिक व्यय (₹81580.21 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं में उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को निधियों के पुनर्विनियोग के कारण हुआ;

(घ) "आरक्षित निधियों को अंतरण – केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (पीएमएवाई–जी) को अंतरण" – ₹83550.17 लाख का अधिक व्यय (₹1724920.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजनाओं/योजनाओं में उपयोग के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(घा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनायें" – अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ:–

(क) "केंद्रीय सहायता/हिस्सा" –

(i) "प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण" – ₹52600.66 लाख का अधिक व्यय (₹7400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ii) "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" – ₹12765.00 लाख का अधिक व्यय (₹22290.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लंबित देयताओं को निपटाने के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

the sanctioned provision of ₹154350.59 lakhs); and

(ii) "National Social Assistance Programme" - excess of ₹21600.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹81580.21 lakhs).

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization of projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim;

(c) "Transfer to Reserve Fund - Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (PMAY-G)" - excess of ₹83550.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1724920.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards utilisation of projects/schemes.

(D) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes" - excess occurred under the following heads:-

(a) "Central Assistance/Share" -

(i) "Pradhan Mantri Awaas Yojana - Rural" - excess of ₹52600.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7400.00);

(ii) "Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme" - excess of ₹12765.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22290.00) was due to requirement of additional funds towards clearance of pending liabilities.

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – प्रधान मंत्री आवास योजना" – ₹14959.23 लाख का अधिक व्यय (₹3500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलन में) हुआ; और

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" – ₹21697.73 लाख का अधिक व्यय (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र से योजना के अंतर्गत अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(घ) "आरक्षित निधियों को अंतरण – केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (पीएमएवाई–जी) को अंतरण" – ₹89257.62 लाख का अधिक व्यय (₹13900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना के अंतर्गत अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के चलते अपेक्षाकृत अधिक निधियों के अंतरण के कारण हुआ।

3. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधिः–

इस निधि की स्थापना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा की गई थी जिसे इस तरह से और ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन उपयोग किया जाना है जिन्हें केंद्रीय सरकार विहित करें। इस निधि में राशि ऐसी धनराशि के अनुदानों या ऋण द्वारा जमा की जायेगी जिसे केंद्रीय सरकार इस संबंध में विधि द्वारा संसद द्वारा उचित विनियोग के पश्चात् आवश्यक समझे।

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Awaas Yojana" - excess of ₹14959.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs); and

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Awaas Yojana" - excess of ₹21697.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to requirement of additional funds under the scheme from the UT of Jammu and Kashmir.

(d) "Transfer to Reserve Fund - Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (PMAY-G)" - excess of ₹89257.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13900.00 lakhs) was due to more transfer of funds owing to requirement of additional funds under the scheme.

3. National Rural Employment Guarantee Fund:-

The Fund was established by notification for the purpose of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 to be utilized in such manner and subject to such conditions and limitations as may be prescribed by the Central Government. The Fund is credited by way of grants or loans such sums of money as the Central Government may consider necessary, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf.

वर्ष 2022–23 के लिए निधि का लेखा निम्नानुसार था:–

The Accounts of the Fund for 2022-23 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	-2
प्राप्तियां	Receipts	90810,98,63
अदायगियां	Payments	90810,98,63
अंतशेष	Closing Balance	-2